# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18882/पुनर्भरण/16–17/ 60 दिनांकः–.....22...../02/17

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
......(समस्त)

**महत्वपूर्ण**
**रजिस्टर्ड पत्र**

**विषयः**–शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त तथा 2015–16 की द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान दिनांक 15.02.17 तक नहीं किए जाने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटित बजट राशि की समीक्षा कर समर्पित की जाने वाली राशि/मांग राशि के प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

**प्रसंगः**–राज्य सरकार का पत्रांक–प.12(6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 07.02.17 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/ 18882/ पुनर्भरण/16–17/प्रथम किस्त/53 दिनांक 12.01.17 तथा शिविरा/प्रारं/ आरटीई/सी/बजट प्रावधान/18873/179 दिनांक 06.02.17 एवं पत्रांक 183 दिनांक 08.02.17

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 53 दिनांक 12.01.2017 के द्वारा समस्त बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा कार्यालयों को निर्देश प्रदान किए गए थे कि शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त का भुगतान 15.02.2017 से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल जयपुर स्थित एस.एस.ए सभागार में दिनांक 03 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित बैठक में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शिक्षा को पुनर्भरण समय पर करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। पोर्टल के अवलोकन से पाया गया कि पुनर्भरण की स्थिति आज भी सन्तोषजनक नहीं है। जिन बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा के पास आरटीई मद में बजट राशि उपलब्ध होते हुए भी दिनांक 15 फरवरी 2017 तक पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इस कार्यालय के पत्रांक 179 दिनांक 06.02.17 एवं पत्रांक 183 दिनांक 08.02.17 के द्वारा भी आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आपके जिले के अधीन कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरटीई मद में आवंटित बजट राशि, व्यय राशि, शेष राशि, समर्पित की जाने वाली राशि, मांग राशि एवं बजट के अभाव में पास आर्डर जारी किए गए उनकी राशि के प्रस्ताव निदेशालय द्वारा प्रेषित प्रारूप में निदेशालय के आरटीई अनुभाग की ई–मेल आईडी ddrtebknr@gmail.com पर अविलम्ब प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिससे बजट राशि के अभाव में किसी ब्लॉक कार्यालय के अधीन गैर सरकारी विद्यालय भुगतान से वंचित नहीं रहे, परन्तु आप द्वारा प्रस्ताव या तो प्रेषित की नहीं किये गये है अथवा गलत प्रेषित किये गये हैं, जिसके कारण बजट आवंटन अथवा समर्पित करने की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अधीन समस्त कार्यालयों को आरटीई मद में आवंटित बजट राशि की तत्काल समीक्षा कर समर्पित की जाने वाली राशि/मांग राशि के प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करावें जिससे बजट राशि आवंटित की जा सके। प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें की आपके अधीन कार्यालयों ने सूचना सही सही प्रेषित की है एवं प्रारूप पूर्ण रूप से भरा गया है, गलत सूचना अथवा अधूरी सूचना प्रेषित करने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे । बजट आवंटन की सूचना प्रेषित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त सूचना किस दिनांक को IFMS पोर्टल से ली गई है । समर्पित की जाने वाली राशि/मांग राशि के सही प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण यदि गैर सरकारी विद्यालय भुगतान से वंचित रहता है अथवा आवंटित बजट राशि लैप्स (lapse)

होती है तो संबंधित जिशिअ प्रा. शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

**संलग्न**—उपरोक्तानुसार ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—**

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
4. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा...................................को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमित रूप से इस कार्य की समीक्षा एवं मोनिटरिंग करते हुए अपने मण्डल के अधीन कार्यालयों द्वारा समय पर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा की गई लापरवाही/शिथिलता के संबंध में जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# प्रारूप

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा.........................................

क्रमांक–

दिनांक–

(दिनांक ........................................ को IFMS से डाउनलोड रिपोर्ट अनुसार))

| क्र.सं. | ब्लॉक का नाम | DDO कोड | वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक आवंटित कुल राशि | वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक व्यय कुल राशि | वित्तीय वर्ष 2016–17 में शेष राशि | शेष राशि में से कम किये जाने के पश्चात् वास्तविक मांग राशि | समर्पित करने हेतु राशि | बजट के अभाव में जारी किये गये पास ऑर्डर की कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Total** | | | | | | |

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा ................................

जिला शिक्षा अधिकारी का नाम–
मोबाईल नंबर–